

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, करौली  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प कैलादेवी

549  
18/6/18

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कैलादेवी व भू-अभिलेख निरीक्षक कैलादेवी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार करौली / नायब तहसीलदार ✓ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खोदरी तहसील करौली व जिला करौली की जमाबन्दी सम्वत् १०73-76 में खाता संख्या 260 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र.सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)   | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)  |
|---------|-------|-------------|--|--|
| 1       | खोदरी | 260         | हरीचरण शंभरतन<br>पि. नथुआ दि. 7/9<br>सम्पति कुलवती रुक्मणी<br>पीतम पुत्रियां नथुआ<br>दि. 29 चम्पार सा. देह | हरीचरण शंभरतन<br>पि. नथुआ दि. 7/9<br>सम्पति कुलवती रुक्मणी<br>पीतम पुत्रियां नथुआ<br>दि. 29 जायक सा. देह |

(कैलादेवी)  
उप खण्ड अधिकारी 18/06/18.  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत, कैम्प कैलादेवी  
उप खण्ड अधिकारी, करौली

क्रमांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार करौली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

दिनांक :-